अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/267/2022 दायर दिनांकः— 25/08/2025

जीसीएमएस नं0ः— 2022/541 निर्णय दिनांकः— 24/11/2025

वउनवान

1. रामचरन पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी ग्राम बरखेडा फौजदार तहसील नगर जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. कुश्लपालसिंह पुत्र पदमसिंह जाति जाट
2. रामबाबू पुत्र पदमसिंह जाति जाट
3. शांति पत्नी पदमसिंह जाति जाट
4. रणवीरसिंह पुत्र खजानसिंह जाति जाट
5. जगदीश सिंह पुत्र खजानसिंह जाति जाट
   निवासीयान ग्राम बरखेडा फौजदार तहसील नगर
6. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लेण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—श्री ब्रहम्मानन्द दीक्षित एडवोकेट— वादी
श्री श्यामसिंह चौहान— अधिवक्ता प्रतिवादीगण

—::निर्णय::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 871 रकवा 0.67 हे. 826 रकवा 0.54 हे.ग्राम बींजला तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काष्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वादी ने विवादित आराजी के जिमन नं0 3 में हिस्सा भी अंकित किये है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अव पक्षकारान के मध्य शामलात

उपखण्ड अधिकारी
... राज०

काश्त करने में आपस में झगडा होते रहते है। प्रतिवादीगणविवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है इस वजह से कम पैदा होती है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व वुरी में से वुरी आराजी का तकासमा कराने व मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपना ईकवाल जवाव पेश किया है जो शामिल पत्रावली है

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम बींजला की सत्यप्रतिलिपी पेष की है। जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादीगण के जवाब व उनकी सहमति के आधार पर वाद वादी दिनांक 28.09. 2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वावत कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर अदालत हाजा के समक्ष पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत रेकार्ड व विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार कठूमर का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुर्रेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 826/1 रकबा 0.36 हैक्ट0 रामचरण पुत्र श्यामलाल हिस्सा पूर्ण, 826/2 रकबा 0.18 हैक्ट0, कुशलपालसिंह, रामबाबू पि0 पदमसिंह, शान्ति पत्नि पदमसिंह हिस्सा 1/2, जगदीशसिंह, रणवीरसिंह पि0 खजानसिह हिस्सा 1/2, एवं आराजी खसरा नम्बर 871/1 रकबा 0.35 हैक्ट0, रामचरण पुत्र श्यामलाल हिस्सा पूर्ण, 871/2 रकबा 0.32 हैक्ट0 कुशलपालसिंह, रामबाबू पि0 पदमसिंह, शान्ति पत्नि पदमसिंह हिसा 1/2, जगदीशसिंह , रणवीरसिंह पि0 खजानसिंह हिस्सा 1/2, वाके ग्राम बींजला तहसील कठूमर रहन बदस्तूर को तक़सीम में दिया है। विभाजन के अनुसार नक्शा भी विभाजन प्रस्ताव के साथ

उपखण्ड अधिकारी

संलग्न किया गया है। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा पर वादी एंव प्रतिवादीगण के सहमति के हस्ताक्षर है। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

दावा वादी मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 826/1 रकबा 0.36 हैक्ट0 रामचरण पुत्र श्यामलाल हिस्सा पूर्ण, 826/2 रकबा 0.18 हैक्ट0, कुशलपालसिंह, रामबाबू पि0 पदमसिंह, शान्ति पत्नि पदमसिंह हिस्सा 1/2, जगदीशसिंह, रणवीरसिंह पि0 खजानसिह हिस्सा 1/2, एवं आराजी खसरा नम्बर 871/1 रकबा 0.35 हैक्ट0, रामचरण पुत्र श्यामलाल हिस्सा पूर्ण, 871/2 रकबा 0.32 हैक्ट0 कुशलपालसिंह, रामबाबू पि0 पदमसिंह, शान्ति पत्नि पदमसिंह हिसा 1/2, जगदीशसिंह , रणवीरसिंह पि0 खजानसिंह हिस्सा 1/2, वाके ग्राम बींजला तहसील कठूमर रहन बदस्तूर को तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को अदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।सुनाया।

आज दिनांक 24.11.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०